

1996

फर्द अहकाम

मी नारायण म बन्नाम मोहन सिंह

नाम न्यायालय

केस संख्या

केस 374/1996

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/7/18	<p>पतावली प्रिया डूई वाकुलाप परि उपस्थित इम डेड वाप पर मत जई वाई का वाड विदुपरिण डिवा किम मर ड विदु विदुम कामा को विदु वाकर शापिम विदुम ड पतावली विदुम इम डिवा इम वाकर ड वाम डे वाड वामा ड वाकर वाकर ड</p>

Handwritten notes on the right margin, including '27/7/18' and other illegible text.

उप-सहायक अधिकारी
[Signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय, सांगानेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी— जगत राजेश्वर आर.ए.एस.

मूल वाद संख्या 374 / 1996

श्रीनारायण पुत्र बालूराम, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम मानपुर भाटावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र बजरंग सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मानपुर भाटावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मानपुर भाटावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
4. सहायक अभियन्ता, (ग्रामीण), राजस्थान राज्य विधुत मण्डल, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण



वाद बाबत घोषणा रकबा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक

27/2/2012

निर्णय

वादी की ओर से यह वाद बाबत घोषणा रकबा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में संस्थित किया गया। वाद के तथ्य यह है कि वादी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 10/2/1 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 10/2/2 रकबा 2 बिस्वा गै.मु.चाह, कुल कित्ता 8 बीघा 2 बिस्वा, वाके ग्राम मानपुर भाटावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर बतौर खातेदार काबिज काश्त होकर खेती बाड़ी कर लाभान्वित हो रहा है और लगान राज्य सरकार को अदा करता आ रहा है। यही आराजीयात प्रस्तुत वाद में विवादग्रस्त है। साबिक खसरा नम्बर 10/2/2 गै.मु.चाह पर कृषि कार्य हेतु विधुत कनेक्शन लगा हुआ है जिसमें वादी अपनी आराजी खसरा नम्बर 10/2/1 रकबा 8 बीघा पर सिचाई कर फसले पैदा करता है। चारों ओर खाम डोली लगा रखी है तथा डोली पर कूचे भी लगा रखे है ताकि आराजी व फसलों की सुरक्षा हो सके उक्त आराजी पर आज भी वादी की फसल खड़ी हुई है। दौराने हाल बन्दोबस्त वाद के मद संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात व रकबा निम्न प्रकार कर दिये गये। साबिका खसरा नम्बर 10/2/1 रकबा 8 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 422 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.79 हैक्टेयर तथा साबिक खसरा नम्बर 10/2/2 रकबा 2 बिस्वा के वर्तमान खसरा नम्बर 425 रकबा 0.04 हैक्टेयर बने। दौराने हाल बन्दोबस्त वादी की आराजीयात के साबिक खसरा नम्बरान के रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के बराबर रकबा 2.02

रिकार्ड जारी कर दिया जा जयपुर ...
के बराबर की बदस्तूर खातेदारी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभावी है जो
न्यायपूर्ण नहीं है व दुरस्ती योग्य है। वादी को पूर्व रकबा के बराबर रकबा दर्ज
कराने का अधिकार प्राप्त है। वादी की विवादग्रस्त आराजीयात की उत्तरी
सीमा की खाम डोली के बाद उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि साबिक
खसरा नम्बर 9/3 हाल खसरा नम्बर 418 लगायत 421 स्थित है जिसमें पूर्व
की ओर वाटिका रोड़ की तरफ का कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को
ट्रांसफर कर दिया बताया। जिस पर प्रतिवादी बिना वैध अनुमति प्राप्त किये
नींव खुदवाकर निर्माण कार्य करवा रहे है। अपने वादपत्र में वादी द्वारा दौराने
हाल बन्दोबस्त वादी की साबिक आराजीयात में अवैध रूप से कम की गई
लगभग 0.28 हैक्टेयर को बदस्तूर 2.02 हैक्टेयर रखने व तदनुसार राजस्व
रिकार्ड में दुरस्ती कर दर्ज करने हेतु दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रस्तुत किया।


वाद में प्रतिवादीगण की तलबी होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से
वादी के वाद पत्र का जवाबदावा प्रस्तुत किया। जवाबदावा की मद संख्या 1
को आंशिक रूप से स्वीकार कर कथन किया कि प्रतिवादी नम्बर 1 ही उक्त
डोली पर 1966 कूचे बांटता है। उक्त खसरा नम्बर किसी भी प्रकार का कोई
विवाद नहीं है। मद संख्या 2 को आंशिक साबिक खसरा नम्बर 10/2/2 गै.
मु.चाह में बिजली व खसरा नम्बर 10/2/1 में सिचाई होना स्वीकार किया
है। मद संख्या 3 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया है। मद संख्या 4
को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। मद संख्या 5 को अस्वीकार करते हुये



बताया कि प्रतिवादी नम्बर 2 ने प्रतिवादी नम्बर 1 से खसरा नम्बर 421 की
आवादी भूमि में से दक्षिणी पश्चिमी भूमि का हिस्सा माप 26 गुणा 58 मीटर
कूचे 1508 वर्गमीटर की रजिस्ट्री अपने नाम करवाना कथित करते हुये उक्त
भूमि के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण पूर्व में ही करवाया जाना तथा वर्तमान में
कोई निर्माण कार्य नहीं करवाना कथित किया है। जवाब की मद संख्या 6 को
अस्वीकार करते हुये वादी को प्रतिवादी नम्बर 1 को खसरा नम्बर 421, 418,
419 व 420 की भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 2 की पक्की बनी साढ़े तीन फीट
बाउण्ड्री के पीछे डोलियों पर लगे कूचे को प्रतिवादी नम्बर 1 के है, जिन्हे
काटने से मना करना कथित किया है। मद संख्या 7 व 8 को अस्वीकार करते
हुये कथन किया कि वादी किसी भी प्रकार से प्रतिवादी नम्बर 2 को उसकी
प्रतिवादी नम्बर 1 से रजिस्टर्ड खरीदी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत मोहनपुरा
से दिनांक 11.07.1995 को भवन निर्माण की इजाजत मिल चुकी है व उसी के
तहत प्रतिवादी नम्बर 2 ने भूमि के चारों ओर बाउण्ड्री का निर्माण व बैंक लोन
लेकर भवन निर्माण करवाना कथित करते हुये वाद हैरान परेशान करने वाला
है। जवाब की मद संख्या 9 लगायत 12 को जवाब का मोहताज होना नहीं
तथा मद संख्या 13 में वर्णित अनुतोषों को अस्वीकार किया है।
यह कि वाद व जवाबदावा के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात
कायम की गई।

- बन्दोबस्त नये नम्बर 422 लगायत 426 कुल कितना है। जबकि वादी का रकबा 2.02 हैक्टेयर होना चाहिये था। (वादी)
2. यह कि वादी अपनी पुरानी सीमा पर काबिज है तथा उत्तर की ओर डोली लगी हुई है जिस पर कूचे खड़े हुये है। (वादी)
 3. यह है कि भू-प्रबन्ध विभाग को वादी का रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादी कमी रकबे को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है (वादी)
 4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अब वादी की उत्तरी डोल को तोड़कर वादी की भूमि पर जबरन घुसकर निर्माण करना चाहते है जिसके लिए वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। (वादी)
 5. यह कि वादी की भूमि के दक्षिण दिशा की ओर पूर्व में 7-8 फीट चौड़ा रास्ता था तथा वर्तमान में उसे 20-22 फीट कर दिया तथा इसी से वादी की भूमि कम हुई है। (प्रतिवादी)
 6. दादरसी ?

उपरोक्त तनकीयात को साबित करने के लिये वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में वर्तमान जमाबन्दी व पुरानी जमाबन्दी प्रदर्श पी 1 व 2, नक्शा लट्टा पुराना खसरा नम्बर व नया खसरा नम्बर प्रदर्श पी 3 व 4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 5 व मौखिक साक्ष्य में वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत किये। इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।



दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 10/2/1 व 10/2/2 का कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा था जिसके हाल खसरा नम्बर 422 लगायत 426 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर बने जो करीब 0.28 हैक्टेयर कम है। जबकि वादी अपने पुराने रकबे 8 बीघा 2 बिस्वा यानि 2.02 हैक्टेयर के अनुसार काबिज काशत हैं। वादी के उक्त 0.28 हैक्टेयर कम रकबा भूमि में से 0.22 हैक्टेयर भूमि दौराने बन्दोबस्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगा दी गई। विवादग्रस्त आराजी की उत्तरी सीमा की खाम डोली के बाद उत्तर में प्रतिवादी संख्या की भूमि साबिक खसरा नम्बर 9/3 जिसका रकबा 5 बीघा था, के दौरा बन्दोबस्त बने खसरा नम्बर 418 लगायत 421 का कुल रकबा 1.48 हैक्टेर बने। जबकि प्रतिवादी का कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर होना चाहिये था। इ प्रकार वादी का कम किया गया रकबा 0.28 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टे प्रतिवादी के नाम दौराने बन्दोबस्त अधिक रकबा बढ़ाते हुए लगा दी प्रतिवादी के दौराने बन्दोबस्त बने खसरा नम्बर 420 में 0.10 हैक्टेयर व में 0.12 अधिक है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का दामाद है। ने आपसी मिली भगत कर वादी के कब्जे काशत की आराजी की उत्तरी की खाम डोली व कूचो को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया और एकराय वादी की आराजीयात की उत्तरी सीमा की खाम डोली को मय कू उत्तरी पश्चिमी कोने से लगभग 50 फीट की दूरी तक उखाड़ फैंक वादी की भूमि में नींव खोदना प्रारम्भ किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत

उप-सूची 3
13

जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद का मदवार में पूर्व रकबे के मुकाबले कम हुई है। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद का मदवार जवाब प्रस्तुत किया है, जिसमें अधिकांश मदों को प्रतिवादीगण द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर यह माना है कि वादी का दौराने बन्दोबस्त वादी का रकबा कम किया है जिसे वादी दुरस्त कराने का अधिकारी है। वादी के अधिवक्ता ने आगे बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2011 को तनकीयात कायम की गई जिनमें तनकी संख्या 1 वादी को साबित करनी थी जो वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। तनकी संख्या 2 वादी को साबित करनी थी जो प्रतिवादी के जवाब दावा में आंशिक स्वीकारोक्ति से तथा वादी की ओर से दौराने बहस अवलोकनार्थ प्रस्तुत दस्तावेजात, वादग्रस्त सम्पत्ति के उत्तरी ओर डोली व कूचे लगवाने की एवज में मजदूरी राशि की प्राप्ति रसीद व सम्वत् 2026 में जारी पासबुक, से साबित है। तनकी संख्या 3 भी वादी को साबित करनी थी, जो कानूनी रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार साबित है। तनकी संख्या 4 भी वादी को साबित करनी थी। जो प्रतिवादीगण के जवाब व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है। साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई, जिसमें प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह में पूछे गये प्रश्नों के जवाब में भी वादी अपना दावा साबित करने में सफल रहा है। अन्त में वादी अधिवक्ता द्वारा वादी का वाद, वाद में वर्णित अनुतोष के अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा को ही बहस के रूप में पढ़ा जावे। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस को मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायोचित व युक्तिसंगत प्रतीत होता है। फलतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा रकबा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादी के साबिक खसरा नम्बर 10/2/1 व 10/2/2 के रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के बराबर का रकबा 2.02 हैक्टेयर घोषित किया जाकर दुरस्त किया जावे तथा प्रतिवादी के साबिक खसरा नम्बर 9/3 रकबा 5 बीघा के दौराने बन्दोबस्त बने नये खसरा नम्बरान 418 लगायत 421 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर अधिक दर्ज भूमि प्रतिवादी के दौराने बन्दोबस्त बने खसरा नम्बर 420 रकबा 0.66 हैक्टेयर के बजाय 0.56 हैक्टेयर व नये बने खसरा नम्बर 421 रकबा 0.68 हैक्टेयर के बजाय 0.56 हैक्टेयर दुरस्त कर दर्ज किया जावे। प्रतिवादी के उक्त कम किये गये रकबे की भूमि को वादी के दौराने बन्दोबस्त बने खसरा नम्बर 422, 423 व 424 में बढ़ाकर दर्ज किया जावे। वाद खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पचा जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/7/18 को खुले न्यायालय में किया गया।

(जगज रजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय(सांगानेर),
जयपुर